

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना व्यवहरित है।
योजनान्तर्गत लाभार्थियों का कुल भौतिक लक्ष्य 2349898 निर्धारित है।
प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह रू० 500/— की धनराशि दी जाती है। नवीन लाभार्थी वेबसाइट www.mahilakalyanup.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं

आवेदन हेतु निर्धारित मानक :

आवेदन हेतु निम्न मानक निर्धारित हैं :—

- . आवेदिका उ०प्र० की स्थायी निवासी हो।
- . आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो।
- . आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- . आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय सीमा समस्त श्रोतों से रू० 2.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- . आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो।

आवेदन पत्र निस्तारण हेतु समयसीमा :

1. जांच के लिये —45 दिन
- 2— खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट—15 दिन
- 3— जनपदीय अनुश्रवण एवं स्वीकृति समिति—01 माह
- 4— एन०आई०सी० से पी०एफ०एम०एस० द्वारा धनराशि भेजने हेतु—01 माह

उपरोक्त निर्धारित समयावधि में निर्णय लेना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र उपरोक्त

समय सीमा समाप्ति के पश्चात स्वतः अग्रसारित/स्वीकृत हो जायेगा।